रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2019/चैत्र 15, 1941
No. 121] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2019/CHAITRA 15, 1941

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2019

सं. 13012/184/2019/विधि/यूआईडीएआई(2019 का संख्या 2).— वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने दिनांक 13.02.2019 की अपनी राजपत्र अधिसूचना द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में संशोधन किया है। इन संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ, नियम 2(1)(घ) के अंतर्गत शासकीय रूप से वैध दस्तावेजों की सूची में "आधार संख्यांक होने का सबूत" शामिल है। नियम 2(1)(घ) के परंतुक के अनुसार जो कोई भी "आधार संख्यांक होने का सबूत" को शासकीय रूप से वैध दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करता है, वह ऐसे रूप में प्रस्तुत करेगा जिसमें उसे प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, कई सरकारी विभागों और विनियमित संस्थाओं ने भी निवासी की पहचान के सत्यापन के लिए आधार को शासकीय रूप से वैध दस्तावेज के रूप में माना है।

2. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 ('नामांकन विनियम') के विनियम 15 में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि निवासी को आधार प्रत्यक्ष रूप में (पत्र अथवा कॉर्ड सहित) और/अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में (प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड के लिए उपलब्ध अथवा एसएमएस द्वारा) संसूचित किया जा सकता है।

3. नामांकन विनियम के विनियम 35 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण यह स्पष्ट करता है कि नामांकन विनियम के विनियम 15 के अंतर्गत आधार संख्या के संप्रेषण का अर्थ आधार संख्या जारी करना है।

4. इसके अतिरिक्त प्राधिकरण नामांकन विनियम के विनियम 35 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा विनियम 15 के अंतर्गत आधार संख्या के संप्रेषण को अधिसूचित करता है, जिसमें निम्नलिखित अभिप्रेत और शामिल होगा:

(क) **आधार पत्र:–** प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र, जिसमें आधार नंबर धारक के नाम, पते, लिंग, फोटो और जन्म-तिथि का ब्यौरा होता है।

(ख) **डाऊनलोडेड आधार (ई-आधार):**– इसमें मुद्रित आधार पत्र की तरह आधार नंबर धारक के नाम, पते, लिंग, फोटो और जन्म-तिथि का ब्यौरा होता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000 का अधिनियम सं. 21) जो डिजिटल हस्ताक्षर के

साथ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधिक मान्यता को उपबंधित करता है, के अनुसार प्राधिकरण द्वारा प्रेषित डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है।

(ग) **आधार सुरक्षित क्यूआर कोड:–** यह प्राधिकरण द्वारा सृजित तुरंत प्रतिक्रिया कोड है, जिसमें आधार नंबर धारक के नाम, पते, लिंग, फोटो और जन्म-तिथि का ब्यौरा होता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000 का अधिनियम सं. 21) जो डिजिटल हस्ताक्षर के साथ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधिक मान्यता को उपबंधित करता है, के अनुसार प्राधिकरण द्वारा प्रेषित डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है।

(घ) **आधार पेपररहित ऑफलाइन ई-केवाईसी:-** यह प्राधिकरण द्वारा सृजित एक एक्सएमएल दस्तावेज है, जिसमें आधार नंबर धारक के नाम, पते, लिंग, फोटो और जन्म-तिथि का ब्यौरा होता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000 का अधिनियम सं. 21) जो डिजिटल हस्ताक्षर के साथ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधिक मान्यता को उपबंधित करता है, के अनुसार प्राधिकरण द्वारा प्रेषित डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है।

उपर्युक्त दस्तावेजों की वास्तविकता को सत्यापित करने के संबंधित निकाय के अधिकार के अधीन आधार संख्या धारक आधार संख्यांक होने का सबूत के लिए ऊपर दिए गए किसी भी दस्तावेज का उपयोग कर सकता है। अपने किसी भी रूप में आधार के संप्रेषण को आधार संख्यांक होने का संतोषजनक सबूत नहीं माना जा सकता है और आधार संख्या धारक को संबंधित संस्था द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

डॉ. अजय भूषण पाण्डेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन- III/4/असा./05/19]

THE UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2019

No. 13012/184/2019/Legal/UIDAI (No. 2 of 2019).—Ministry of Finance (Department of Revenue) vide its Gazette notification dated 13.02.2019 has amended the Prevention of Money laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005. These amendments inter alia include "proof of possession of Aadhaar number" in its list of officially valid document(s) provided under Rule 2(1)(d). As per the proviso to Rule 2(1)(d) whoever submits "proof of possession of Aadhaar number" as an officially valid document, has to do it in such a form as are issued by the Authority. In addition, a number of government departments and regulated entities also provide for Aadhaar as an officially valid document for identity verification of the resident.

2. Regulation 15 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 ("Enrolment Regulations") which deals with delivery of Aadhaar number stipulates that, "Aadhaar number may be communicated to residents in physical form (including letters or cards) and/or electronic form (available for download through the Authority's website or through SMS)."

3. The Authority in exercise of the provisions under Regulation 35 of Enrolment Regulations hereby clarifies that delivery of Aadhaar number under Regulation 15 of the Enrolment Regulations means the issuance of Aadhaar number.

4. Further, the Authority in exercise of the provisions under Regulation 35 of the Enrolment Regulations hereby notifies that delivery of Aadhaar number under Regulation 15 shall mean and include the following:

(a) **Aadhaar letter:** Issued by the Authority carries name, address, gender, photo and date of birth details of the Aadhaar number holder.

(b) **Downloaded Aadhaar (e-Aadhaar):** Carries name, address, gender, photo and date of birth details of the Aadhaar number holder in similar form as in printed Aadhaar letter. This is digitally signed by the Authority as per Information Technology Act (Act No. 21 of 2000), which provides for legal recognition of electronic records with digital signature.

(c) **Aadhaar Secure QR Code:** A quick response code generated by the Authority containing name, address, gender, photo and date of birth details of the Aadhaar number holder. This is digitally signed by the Authority as per Information Technology Act (Act No. 21 of 2000), which provides for legal recognition of electronic records with digital signature.

(d) **Aadhaar Paperless Offline e-KYC:** An XML document generated by the Authority containing name, address, gender, photo and date of birth details of the Aadhaar number holder. This is digitally signed by the Authority as per Information Technology Act (Act No. 21 of 2000), which provides for legal recognition of electronic records with digital signature.

The Aadhaar number holder can use any of the documents above to prove possession of Aadhaar number subject to the concerned entity's right to verify the genuineness of the above mentioned documents. The delivery of Aadhaar in any of its forms by itself may not be considered to be satisfactory proof of possession of Aadhaar number and the Aadhaar number holder may have to provide additional documents as may be required by the concerned entity.

Dr. AJAY BHUSHAN PANDEY, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./05/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.04.05 16:02:22 +05'30'